रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 1977/माघ 13, 1898

No. 37] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 1977/MAGHA 13, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February 1977

G.S.R. 58(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Rules, 1957, namely.—

1 (1) These rules may be called the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Amendment Rules, 1977

(2) They shall be deemed to have come into force on the 23rd of December, 1976

2. In sub-rule (2) of rule 3 of the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Rules, 1957, clause (e) shall be omitted, and clauses (f) and (g) shall be renumbered as clauses (e) and (f) respectively

Explanatory Memorandum

Under sub-rule (1) of rule 3 of the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Rules, 1957, every Minister who is a member of the Cabinet is given sumptuary allowance of Rs. 500 per mensem. Sumptuary allowance to Ministers, other than members of the Cabinet, is determined in each case having regard to the requirements of the particular assignment of the Minister. Under clause (e) of sub-rule (2) of rule 3 of the aforesaid rules, the Minister of Commerce was granted a sumptuary allowance of Rs. 250 per mensem. Consequent on the last reshuffle of the Cabinet, the Minister of Commerce became a member of the Cabinet with effect from the afternoon of 23rd December, 1976. As the Minister of Commerce is now entitled to a sumptuary allowance of Rs. 500 per mensem with effect from the afternoon of 23rd December, 1976, clause (e) of sub-rule (2) of rule 3 of the said rules has to be retrospectively omitted. It is certified that the interests of no one will be adversely affected by the amendment being given retrospective operation.

[No. 4/5/76-States]

S. S. SIDHU, Addl Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फ़रवरी, 1977

सा० का० नि० 58 (अ).—केन्द्रीय सरकार, मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1977 है ।

(2) ये 23 दिसम्बर, 1976 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 के नियम 3 के उप-नियम (2) मे, खण्ड (ङ) का लोप किया जाएगा और खण्ड (च) और (छ) को क्रमश: खण्ड (ङ) और (च) के रूप मे पुन: संख्यांकित किया जाएगा ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन, प्रत्येक मंत्री को जो मंत्रीमंडल का सदस्य है, 500 रुपए प्रतिमास का समचुअरी भत्ता दिया जाता है । मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रियों को छोड़कर अन्य मंत्रियों के समचुअरी भत्ते का अवधारण प्रत्येक मामले में, मंत्री के विशिष्ट समनुदेशन की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है । उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (ङ) के अधीन, वाणिज्य मंत्री को 250 रुपए प्रतिमास का समचुअरी भत्ता मंजूर किया गया था । मंत्रिमंडल मे हुए पिछले फेरबदल के परिणामस्वरूप, वाणिज्य मंत्री 23 दिसम्बर, 1976 के अपराह्न से मंत्रिमंडल के सदस्य बन गये । वाणिज्य मंत्री अब

23 दिसम्बर 1976 के अपराह्न से 500 रुपए प्रतिमास समचुअरी भत्ता पाने के हकदार हैं, इसलिए उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (ङ) का भूतलक्षी प्रभाव से लोप किया जाना है। यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधन के भूतलक्षी प्रभाव के कारण किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० 4/5/76 –राज्य]

एस० एस० सिद्धू, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977